राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 159 अक्टूबर 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हरियाणा में पिछले महीने में 30 दिनों में हुए 18 बलात्कार से यह लगता है कि भारत महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश नहीं है। हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत और यमुनानगर जिले में सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की खबरें आई हैं।

इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इन अधिकांश मामलों में अपराधियों ने इस जघन्य काम का वास्तव में फोटोग्राफ लिया है ताकि इसे प्रचारित किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि कानून उन्हें कभी गिरफ्तार कर सकता है। वे इस बात से आश्वस्त है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है या उन्हें बहुत कम सजा मिलेगी।

जबकि कैमरे वाले मोबाईल फोन का बड़े पैमाने पर प्रयोग को देखते हुए बलात्कार की तस्वीर उतारने के काम को रोकना असंभव है, दोषी को कड़ी सजा देने से ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। एक साईबर कानून के विशेषज्ञ का कहना है "आईटी एक्ट में विशेष धाराएं हैं यथा धारा 67 और 67(क) जो आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील इलेक्ट्रॉनिक विषय को प्रकाशित करने और पारेषण करने से संबंधित हैं, दोनों मामलों में 3 वर्ष की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश, यद्यपि इसके लिए कानून बना हुआ है, उसका प्रयोग लगभग नहीं होता है

दूसरी ओर, पीड़ित यदि कोई शिकायत करता है तो उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी जाती है। हिसार में, पीड़ित के पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने से दुखांत घटना में और अधिक वृद्धि हुई। अधिक शोचनीय हरियाणा सरकार और कुछ राजनीतिज्ञों का रवैया है जिन्होंने इन अपराधों

चर्चा में

हरियाणा के लिए शर्म की बात

को सामान्य बताया है बजाए इसके कि वे शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन देते। एक खाप पंचायत ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु कम करने का सुझाव दिया है यदि वे बलात्कार से बचना चाहती हैं; एक ने दावा किया है कि चाऊमीन (जो एक चाइनीज़ मसालेदार नूडल्स है) हार्मोन में असंतुलन पैदा करता है जिससे आदमी बलात्कार करता है।

अनेक अन्य मंत्रियों ने इस बारे में हुई हिंसा को कोई महत्व नहीं दिया है और उन्होंने यह दावा किया है कि यह राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी के प्रतिकूल नहीं है जो उन्होंने इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर की। ऐसे मुद्दों को सामान्य बताने के बजाए हरियाणा सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर ध्यान देना चाहिए। कानून और व्यवस्था एजेंसियों को पूरी गंभीरता के साथ बलात्कार के मामलों को देखना चाहिए और तुरंत जांच करनी चाहिए ताकि अपराधियों को तत्काल सजा दी जा सके। पहली बात, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अपराध के फोरेंसिक साक्ष्य 24 घंटे के अन्दर ही एकत्रित किए जाएं और पीड़िता से पुलिस स्टेशन पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से पेश आया जाए और जो उसके साथ यातना हुई है, उसे दोहराया न जाए।

इस मामले में अति चिंतित, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि इस गंभीर मामले को देखें ताकि द्रुत न्यायालयों से पीड़ितों को शीघ्र न्याय देकर सहायता देने के लिए कदम उठाए जा सके। यह बहुत जरूरी है कि अब राज्य सरकार अपनी निष्क्रियता त्यागे और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून और व्यवस्था तंत्र को मजबूत बनाए।.

कन्या भ्रूण हत्या पर जागरूकता कार्यक्रम

नाबालिग न्याय और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक के लिए दीपशिखा सोसाइटी ने कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध के बारे में गुड़गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने कहा कि यदि बालिका के विरुद्ध भेदभाव होता रहा तो बहुत शीघ्र ही लगभग 2 करोड़ युवाओं को विवाह के लिए दुल्हनें नहीं मिलेंगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षित होने के बावजूद अनेक मां-बाप भ्रूण हत्या करते हैं और महिला के विरुद्ध हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

लगभग 500 युवा लड़कियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एडवोकेटों, डॉक्टरों, कॉलेज के प्राध्यापकों आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कन्या भ्रूण हत्या पर एक लघु डॉक्यूमेंटरी दिखाई गई और परिवार और समाज में कन्या के महत्व पर एक स्किट पेश किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रोताओं को संबोधित करते हुए

अध्यक्षा का नवभारत टाइम्स को संबोधन

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने गुड़गांव में नवभारत टाइम्स को कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि का कारण टीवी सीरियलों में महिलाओं को अशोभनीय और अनुचित ढंग से दिखाया जाना है, उन्होंने कहा कि टीवी सीरियलों में विवाहेतर संबंधों को प्रमुखता से दिखाने से महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण तस्वीर पैदा की जाती है। इसके विपरीत विशेष समय पर दिखाये जाने वाले सीरियलों में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, विवाह के बड़े पैमाने पर खर्च आदि जैसे विषय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और उनकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा सके।

श्रीमती शर्मा ने राजनीतिज्ञों और खाप पंचायतों की भी उनके महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग करने अथवा उन्हें कैसे कपड़ने पहनने चाहिए के बारे में हुक्मनामा जारी करने की आलोचना की। उन्होंने बलात्कार के मामलों में भयावह वृद्धि औरसजा देने की निम्न दर के विरुद्ध अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे जघन्य कार्यों को करने वालों के लिए सख्त कानून और कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्षा नवभारत टाइम्स से बातचीत करती हुई

स्वतः संज्ञान में लेना

● स्वतः संज्ञान में लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भुवनेश्वर में 6 सितम्बर को हुई घटना की, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की एक विरोध रैली के दौरान कथित रूप से पिटाई हुई थी, जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच समिति गठित की। सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना की अध्यक्षता में जांच समिति महिला कांस्टेबल से मिली और घटना के बारे में ब्यौरा नोट किया। पैनल के साथ भुवनेश्वर के डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गए। इसने ओड़िशा पुलिस से महिला कांस्टेबल को हल्का काम देने को कहा।

जांच पैनल पिपली बलात्कार पीड़ित के परिवार से भी मिला और राज्य सरकार से घटना के बारे में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने की मांग की। पैनल ने ओड़िशा डीजीपी और मुख्य सचिव से भी मुलाकात की और परिवार को सुरक्षा देने का सुझाव दिया।

● राजस्थान के टोंक जिले में वनस्थली विद्यापीठ के दो विद्यार्थियों के साथ कथित बलात्कार की घटना को, जिसके कारण कैम्पस में 5,000 विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, स्वतः संज्ञान में ले हुए एक जांच समिति ने, जिसमें सदस्या हेमलता खेरिया, सुश्री नवोदिता शर्मा और सुश्री निधि शर्मा थी, घटना की जांच करने के लिए कैम्पस का दौरा किया और संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने, जो विद्यापीठ भी गई थी, कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम शीघ्र ही अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कार्यनीतियों की अनुशंसा की जाएगी। समिति बाद में इस घटना के बारे में कथित आरोपी नेहरू से पूछताछ करने के लिए टोंक जेल भी गई।

जांच समिति की सदस्या हेमलता खेरिया (दाहिने) और सुश्री नवोदिता शर्मा

वनस्थली विद्यापीठ में अध्यक्षा

● सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना घरेलू कामगारों के लिए बेहतर काम हेतु आई.एल.ओ. कन्वेंशन सी189 का अनुसमर्थन करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस समस्या और घरेलू काम को सम्माननीय कार्य मानने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है।

वह आमीर खान और सी.ई.ओ. उदय शंकर को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय बाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई।

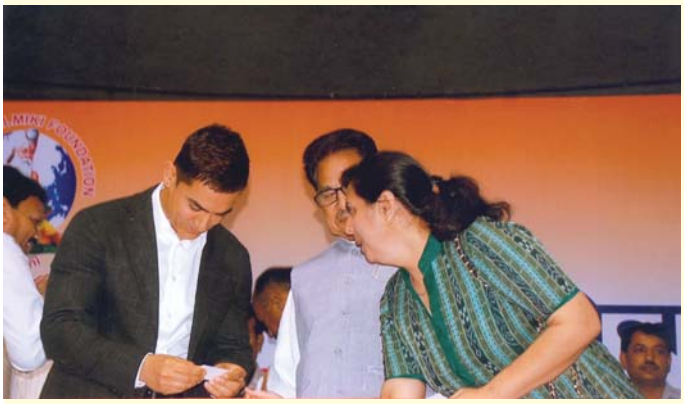

सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना आमीर खान से बात करती हुई

सदस्या ने बालिका के सामंजस्यपूर्ण विकास की समस्याओं और बालिका की स्थिति में सुधार करने की दिशा में समाज की भूमिका और भारत के बाल लिंग अनुपात में गिरावट का उल्लेख करते हुए नई दिल्ली में आयोजित "कन्या भ्रूण हत्या और बालिका की सुरक्षा" पर आयोजित सेमिनार में भी भाषण दिया।

● सदस्या शमीना शफीक, सहारनपुर में जामियातुल तैय्यबत कॉलेज द्वारा आयोजित वार्षिक सर्टिफिकेट वितरण समारोह में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों के विवाह में भारी दहेज देने के बजाए मां-बाप को अपनी बेटियों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस अधिकारी बन सकें। इस अवसर पर मौलाना नज़ीम याकूब बुलंदशहरी भी उपस्थित थे।

सदस्या शमीन शफीक विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट वितरित करती हुई

वह वैष्णो नारी सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई। वह जिला पुलिस, सीतापुर द्वारा आयोजित "महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस का संवेदनापूर्ण व्यवहार" कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुलिस से महिला संबंधित मुद्दों को निबटाने के दौरान अधिक संवेदनशील होने का अनुरोध किया।

श्रीमती शमीना शफीक पुलिस समारोह में भाषण करते हुए

सदस्या भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग में सहायता करने और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के कार्यक्रम के भाग के रूप में 13 से 19 अक्टूबर के दौरान ब्रिटेन के दौरे में गई थी।

● सदस्या वानसुक सयीम मेघालय महिला राज्य आयोग के कार्यालय में गई जहां मेघालय आयोग ने उनका अभिनन्दन किया। उनकी उपस्थिति में आयोग ने सुनवाई भी की।.

सदस्या वानसुक सयीम (दाहिने से तीसरी) राज्य आयोग में

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई तहकीकात

- डॉ. चारू वलीखन्ना एक मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए राजस्थान में अलवर गई, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अलवर के टहला कस्बे में दो अध्यापक कथित रूप से दो कन्या विद्यार्थियों से बलात्कार करके उनका अश्लील वीडियो क्लिप बना रहे थे। उन्होंने पुलिस और जिला प्राधिकारियों से बात की और बाद में पीड़िता ओर उनके परिवर से मुलाकात की।

- डॉ. वलीखन्ना एक घटना की जांच करने के लिए, जहां एक महिला को आधा नंगा करके 3 कि.मी. तक घुमाया गया, मध्य प्रदेश में मुरैना गई। उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मामलों पर बातचीत की और बाद में पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की।

- डॉ. वलीखन्ना मध्य प्रदेश में जिला रीवा में एक घटना की जांच करने के लिए वहां गई जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर गर्म तेल डाला गया और कथित रूप से नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। वह अनेक शिकायतकर्त्ताओं से मिली और स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत की। बच गई महिलाओं पर एसिड और गर्म तेल डाला गया था और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सदस्या ने अब तक दोषियों को न पकड़े जाने पर अपनी नाखुशी जाहिर की। बाद में वह कथित सामूहिक बलात्कार के तीन पीड़ितों से मिली।

सदस्या चारू वलीखन्ना तेल से जली एक पीड़िता के साथ

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

- सदस्या शमीना शफीक ने सुश्री सीमा सिंह, सहायक प्रोफेसर, लॉ सेन्टर II, लॉ फैकल्टी, लॉ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक सहकर्मी द्वारा कथित प्रताड़ना जैसे पीछा करना आदि के संबंध में दायर शिकायत पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- सदस्या ने एक मीडिया रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि लगभग 20 वर्ष के उम्र के तीन लड़कों ने कथित रूप से हरियाणा में जींद के निकट 32 वर्ष की एक महिला के साथ बलात्कार किया और घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसका इलाके में प्रचार किया, की जांच करके एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि एक 16 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे धमकी दी गई थी, बाद में उसके पिता ने हिसार, हरियाणा में आत्महत्या कर ली थी, की जांच करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महत्वपूर्ण निर्णय

- केन्द्र ने निर्णय लिया है कि स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का संशोधन किया जाए और श्रव्य दृश्य मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को कानून के अंतर्गत लाने के लिए कानून के क्षेत्र को व्यापक किया जाए। एम.एम.एस., श्रव्य दृश्य सामग्री और ई-मेल, जो महिलाओं को अशिष्ट तरीके से दिखाते हैं, का प्रचार करने से 2 से 7 वर्ष की जेल अवधि मिलेगी और साथ में भारी जुर्माना लगेगा।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपराधी को छोड़े जाने के आदेश को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपराधी को तुच्छ आधार पर छोड़ा न जाए और उन्हें कठोर आजीवन कैद दी जानी चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार एवं हत्या के मामले में यह टिप्पणी की जहां अपराधी ने 11 वर्ष की लड़की से बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

- एक महिला द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरा विवाह पहली पत्नी का गुजारा भत्ता रोकने अथवा कम देने का कोई कारण नहीं बनता है। वादी का गुजारा भत्ता दो गुना करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय पति को लेना है कि क्या वह विवाह करने पर दो पत्नियों का गुजारा चलाने पर वित्तीय रूप से समर्थ है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।